उत्तर रेलवे

मंडल कार्यालय
स्टेट एंट्री रोड , नई दिल्ली

पत्र स०10-T/SD/15/2025/सेफटी **दिनांक: 18.05.2025**

सभी संबंधित शाखा अधिकारी,
उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल।

मंडलीय संरक्षा अभियान सं० 17/2025

विषयः सिगनल को खतरे की स्थिति में पास करने (SPAD) की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु विशेष संरक्षा अभियान।

संदर्भ: दिनांक 13.05.2025 को अंबाला मंडल के CDG-UMB पर गेट स० 120/SPL/ Engg (I/L) लोकेशन 236/2-4 पर लाईट इंजन के सिगनल को खतरे की स्थिति में पास करने (SPAD) की घटना।

उपरोक्त घटना के संदर्भ सिगनल को खतरे की स्थिति में पास करने (SPAD) की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 15 दिन के लिए एक विशेष संरक्षा अभियान दिनांक 19.05.2025 से 02.06.2025 तक चलाया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारी, लोको निरीक्षक SPAD से बचने के लिए निम्न लिखित सावधानियों बरतने की काउन्सित गहनता से सभी लोको पायलटो एवं सहायक लोको पायलटो करे:

1. ड्यूटी पर आने से पहले सम्पूर्ण विश्राम करके आये एवं किसी भी वादक पदार्थ का सेवन न को।
2. साइन आन करते समय सभी सफेटी ड्राइव, सर्कुलर व तकनीकी ड्राइव को ध्यानपूर्वक पढे एवं उनका पालन करें। पूर्वपतिका सख्ती से पालन करें।
3. चालक दल काशन ऑर्डर को ध्यानपूर्वक पढे, अस्थाई एवं स्थाई गति प्रतिबंधों केए सख्ती से पालन करें।
4. लोको पायलट प्रारंभिक स्टेशन गाड़ी के प्रस्थान से पहले continuity व प्रस्थान के बाद नियमानुसार ब्रेक फील टेस्ट (BFT) व ब्रेक पॉवर टेस्ट (BPT) अवश्य करें।
5. गार्ड द्वारा गाड़ी प्रस्थान के लिए दिए आल राईट सिग्नल यां बेल को देखकर / सुनकर गाड़ी न चलाए बल्कि अपनी गाड़ी के लिए दिए गए प्रस्थान संकेत का आन होना सुनिक्षित करें।
6. चालक दल यह सुनिश्चित करें जो सिग्नल ऑफ हुआ है बह उन्ही की गाड़ी का है और बह अपने सिग्नल को सतर्कता पूर्वक तब तक देखते रहे जब तक कि सिगनल पार न हो जाये।
7. लोको पायलट एवं सह लोको पायलट सिग्नल के आस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी की गति को नियंत्रित करते हुए उचित दूरी से गाड़ी में बैंक पॉवर के अनुसार ब्रेक लगाये।

   एक पीला (Single Yellow) गिनत पार करते समय कोचिंग (Empty) के संधान के दौरान गाड़ी की गति 50 KMPH अधिक हो मागकेके दौरान गाड़ी की 30 KMPH से अधिक नही।
8. यदि गाडी पर सह चालक भी कार्य कर रहा है तो चालक द्वारा निर्धारित गति का पालन न करने पर सहायक चालक द्वारा RS/ इमरजेंसी वाल्व का प्रयोग करें।
9. रोक सिग्नल पर पहुँचते समय चलती गाड़ी में लोकोमोटिव/ DEMU/ EMU/ MEMU/ ट्रेन सेट में किसी प्रकार के इंडिकेशन परध्यान न दें और न ही किसी प्रकार की ट्रबल शूटिंग करें।
10. सिग्नल के आस्पेक्ट का अनुमान न लगाए और सिग्नल के सकेंत के अनुसार गाड़ी की गति को नियंत्रण में रखें।
11. लोको पायलट एवं सह लोको पायलट सिग्नल के आस्पेक्ट को स्टेशन के नाम, स्टेशन के नाम और नंबर (आटोमेटिक सिग्नल के संधर्भ में) से तेज आवाज़ में कॉल आउट करते हुए हाथ उठा क्र सिग्नल की ओर इशारा करें तथा लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हुए उसकी सकर्त्कता को सुनिश्चित करें।
12. सिगनल से कॉल कॉल आउट की न्यूनतम अवधि (frequency) को नीचे दिये अनुक्रम के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
    a. सिगनल के हरे (ग्रीन) आस्पेक्ट को क्रू के द्वारा केवल एक बार कॉल आउट करना है।
    b. सिग्नल के दो पीले (डबल येलो) आस्पेक्ट को कम से कम दो बार कॉल आउट करना (दोहराना) है।
    c. सिग्नल के एक पीले (सिंगल येलो) आस्पेक्ट को कम से कम तीन बार कॉल आउट करना (दोहराना) है।
    d. सिग्नल के लाल (रेड येलो) आस्पेक्ट को कम से कम पांच बार कॉल आउट करना (दोहराना) है एवं जब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो जाए, तब तक उसे दोहराते रहना है।
13. ऐसी गाड़ियों जिन पर सहायक लोको पायलट बुक नहीं किये जाते जैसे EMU/ MEMU/ DEMU के लोको पायलट भी उपरोक्त के अनुसार कॉल आउट करेंगे।
14. विशेषत: सिग्नल लाल की आस्था में होने पर, सिग्नल की अवस्था का कॉल आउट गाड़ी रुकने तक बार बार करते रहें। यदि लोको पायलट पर्याप्त दूरी से लाल सिग्नल के लिए ब्रैकिंग नहीं करता तो सहायक लोको पायलट को ड-1 इमरजेंसी वाल्व/ RS वाल्व (इमरजेंसी ब्रेक) का प्रयोग करके तुरंत गाड़ी को रोकना चाहिए।
15. सभी लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट गाड़ी संचालन के दौरान अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ की हालत में अपने बैग में रखें तथा आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर यदि मोबाइल फोन का प्रयोग करना पड़े तो उसका रिकॉर्ड डायरी में अवश्य नोट करें।

16. चलती गाड़ी में लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट लाइन बॉक्स से न तो सामान निकालें और न ही रखें।

17. **<u>सिग्नल को लाल की स्थिति में पार करने की रोकथाम के लिये क्या करें और क्या न करें</u>**

क्रमांक	क्या करें	क्या न करें
1.	प्रत्येक सिग्नल का प्रभावशाली तरीके से कॉल आउट करें।	सिग्नल कॉल आउट करने में संकोच न करें।
2.	सिग्नल के आस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी की गति को नियंत्रित करें।	ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी का संचालन कभी न करें।
3.	सिग्नल के आस्पेक्ट को अंतिम क्षण तक देखें तथा ये सुनिश्चित करें कि जो सिग्नल लोअर हुआ है वह हमारा ही सिग्नल है।	किसी अन्य गाड़ी के लिए डाउन हुवे सिग्नल को अपना समझने की भूल कदापि ना करें।
		सिग्नल के आस्पेक्ट का पूर्वानुमान ना करें।
4.	लाल सिग्नल से उचित दूरी पर गाड़ी को खड़ा करें।	ओवर कॉन्फिडेंस मे गाड़ी को लाल सिग्नल के ज्यादा नजदीक ना ले जाएं।
5.	गाड़ी के प्रस्थान के लिए दिए गए प्राधिकार को भली भाँति समझें।	प्राधिकार का उल्लंघन कदापि न करें। उचित प्राधिकार के न होने पर कदापि न चलें।
6.	ब्रेक फील टेस्ट तथा ब्रेक पावर टेस्ट की प्रक्रिया का नियम पूर्वक पालन करें।	अति आत्मविश्वास के कारण गलतियाँ न करें।
7.	गाड़ी संचालन के दौरान हर समय अत्यंत सजग एवं सावधान रहें। संरक्षित गाड़ी संचालन पर हमेशा ध्यान दें।	स्टेशन से, गाड़ी के चलने के बाद तथा स्टेशन पर पहुँचने से पहले अपने व्यक्तिगत सामान को बैग में से निकालना / रखना या इसी तरह का कोई और कार्य मे ना लगें।
		गाड़ी संचालन के दौरान वाकी टाकी पर व्यर्थ की बात करने मे ना लगें। इस कारण ध्यान बंट जाता है।
		गाड़ी संचालन के दौरान वाकी टाकी पर व्यर्थ की बात न करें। इस कारण ध्यान बंट जाता है।
		गाड़ी संचालम के दौरान लोको कैब में लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट आपस में व्यर्थ अनावश्यक बातचीत न करें। इस कारण ध्यान बंट जाता है।
8.	गाड़ी संचालन के दौरान झपकी न आये इसके लिए ड्यूटी पर पूर्ण विश्राम करके आयें। प्रत्येक सिग्नल का प्रभावशाली तरीके से कॉल आउट करें।	
9.	हमेशा GR 2.09 का पालन करें।	मादक पदार्थ का सेवन कर ड्यूटी पर कदापि न आना।
10.	ऑन ड्यूटी के समय से 15 मिनट पूर्व लॉबी में उपस्थित होने पर गाड़ी संचालन से सम्बन्धित निर्देश / सर्कुलर इत्यादि को तसल्ली से पढ़ने का पूरा समय मिलेगा और कार्य के दौरान आत्मविश्वास रहेगा।	ऑन ड्यूटी के लिए अन्तिम क्षणों में भाग दौड़कर कदापि न आना।
11.	प्रत्येक ऑन ड्यूटी के पूर्व स्नान करके ही ड्यूटी पर जायें जिससे आप न केवल ताजा एवं ऊर्जावान महसूस करेंगे बल्कि कार्य क्षमता बेहतर होगी।	
12.	गति प्रतिबन्धों के प्रति सजग रहें।	गति प्रतिबन्धों का अनुपालन करने में कदापि चूक न करें।
13.	ALP गाड़ी संचालन के दौरान LP की गतिविधियों तथा सतर्कता पर लगातार निगाह रखे तथा सतर्क रहे।	ALP द्वारा गाड़ी संचालन के दौरान LP को गति प्रतिबन्धों के बारे में समय रहते आगाह न करने की गलती ना करें।
	ALP अपना एक हाथ हमेशा RS व्लाव पर रखे।	

तुरन्त प्रभाव से 15 दिन का **एक विशेष संरक्षा अभियान दिनांक 19.05.2025 से 02.06.2025 तक चलाया** जाये एवं ड्राइव की रिपोर्ट 03.03.2024 की संरक्षा मण्डल कार्यालय में जमा कराये।

की गई फुटप्लेट की संख्या	किए गये अम्बुस चेकों की संख्या	काउंसल किए स्टाफ की संख्या				टिप्पणी
		लोको पायलट	सहायक लोको पायलट/ special	टावर वैगन ऑपरेटर	ट्रैक Machine ऑपरेटर	

बीरि० संरक्षा अधिकारी/ दिल्ली

प्रति:

1. मंडल रेल प्रबंधक/दिल्ली --- जानकारी हेतु।
2. अपर मंडल रेल प्रबंधक /परिचालन, अपर मंडल रेल प्रबंधक /इन्फ्रा, अपर मंडल रेल प्रबंधक / प्रशासन, - जानकारी हेतु।